ASSOCHAM IN THE NEWS

Mint **27 February, 2017**

States must adopt model Bill to keep shops open 24x7: Assocham
bit.ly/2mjvYLo

Amar Ujala 27 February, 2017

बढ़ती आबादी को रोजगार देना मुख्य चुनौती

आज का साक्षात्कार

संदीप जाजोडिया, प्रेसिडेंट, एसोचैम

उद्योग संगठन एसोचैम का कहना है कि उद्योग जगत में खास कर छोटे एवं मंझोले उद्योग भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कर चुकाने के मामले में इन्हें अभी शक की निगाह से देखा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। संगठन का कहना है कि भारत की बढ़ती आबादी पर ध्यान दें तो हर साल यहां एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है। यहां की सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती आबादी को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसलिए उद्योग जगत पर विश्वास करना होगा। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के हालात एवं अन्य मसलों पर अमर उजाला के संवाददाता शिशिर चौरसिया ने एसोचैम के नव निर्वाचित प्रेसिडेंट संदीप जाजोडिया से विस्तृत बातचीत की। पेश है इस बातचीत के अंश :

ढांचागत संरचना पर जोर दिया जाता है, तो इससे समाज के हर क्षेत्र को फायदा होगा। उद्योग जगत समाज से बाहर नहीं है, इसलिए उसको भी फायदा होगा। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष के बजट में ढांचागत संरचना क्षेत्र के लिए 3.9 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस मामले में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। इससे न सिर्फ औद्योगीकरण बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

प्रश्न था...
सरकार इस समय ढांचागत संरचना पर ज्यादा जोर दे रही है। क्या इससे उद्योग को सहूलियत मिलेगी?

सरकार इस समय कर का दायरा बढ़ाना चाहती है और कर चोरी पर लगाम भी लगाना चाहती है। इस पर उद्योग जगत की क्या प्रतिक्रिया है?

पिछले महीने बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंख खोलने वाला आंकड़ा पेश किया कि कुल आबादी में से महज 1.8 फीसदी लोग ही आयकर देते हैं। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक उद्योग जगत की बात है, तो वहां भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो कर चोरी कर रहे हैं। लेकिन कर चोरी रोकने के प्रयास करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऊंचे मूल्य के उत्पादों और सेवाओं के कारोबार में किसी प्रकार का डर अथवा कर-आतंकवाद की भावना पैदा नहीं हो।

इसके लिए क्या करना होगा?

इसके लिए सभी कर अधिकारियों को उनकी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाना होगा। उन्हें साफ संदेश देना होगा कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी का पीछा नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योग जगत को बेवजह तंग नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार चाहती है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिले। यही नहीं, दो लाख रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर एक फीसदी टीसीएस की बात की जा रही है। इससे आप सहमत हैं?

भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकतर भारतीय अभी नकद लेन-देन करना ज्यादा पसंद करते हैं। यह आदत धीरे-धीरे बदल रही है और इसे बदलने में तीन-चार साल का वक्त लगेगा। मेरा सुझाव है कि सरकार को दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर टीसीएस लगाने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।

नोटबंदी के बाद उद्योग जगत की सामान्य शिकायत मांग घटने की है। पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। आपका क्या मानना है?

मेरा मानना है कि अभी भी नोटबंदी से पहले जैसे हालात बनने में 9 से 12 महीने लगेंगे। अभी की स्थिति देखी जाए तो इस समय औद्योगिक क्षेत्र मांग की भारी कमी के दौर से गुजर रहे हैं। यदि बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी तो मांग निकलेगी। अभी आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में नकदी आपूर्ति की स्थिति काफी खराब है। वहां सब कुछ सामान्य होने में वक्त लगेगा। मेरा तो मानना है कि जब तक अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह नहीं बढ़ेगा, उपभोग नहीं बढ़ेगा। उपभोग कम रहने से रोजगार सृजन प्रभावित होगा। अब तक देश में रोजगार रहित विकास होता रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है।

आप रोजगार के साथ विकास की बात कहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से तो सिर्फ नौकरी जाने की ही खबर आ रही है?

नौकरी तो तभी मिलेगी जब उत्पादन बढ़ेगा। जब बिक्री घट रही है तो उत्पादन भी घटेगा। उत्पादन घटेगा तो नई भर्ती का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि भारत की आबादी में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया जुड़ता है। जब आबादी बढ़ रही है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे। इस समय देश की आधी से ज्यादा आबादी युवा है तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उद्योग जगत को बढ़ावा देना जरूरी है, जो इन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है

Rashtriya Sahara 27 February, 2017

नहीं लागू हो सकी 365 दिन 24 घंटे दुकानें खुली रखने की योजना

■ नई दिल्ली।

उद्योग संगठन एसोचैम ने माडल दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016 के फायदे गिनाते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह रोजगार सृजन की दिशा में खुदरा कारोबार को बढ़ावा देने के मद्देनजर राज्य सरकारों से इसे लागू करने के लिए कहे।

उद्योग संगठन ने माडल विधेयक के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में खुदरा कारोबारा सबसे अधिक रोज़गार सृजन करने वाला क्षेत्र है। इसके महत्व को देखते हुए इसे बढ़ावा देना जरूरी है और माडल दुकान तथा प्रतिष्ठान विधेयक 2016 इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है। केंद्र सरकार ने गत साल पेश आम बजट के दौरान इस विधेयक का प्रस्ताव पेश किया था।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में दुकानों और प्रतिष्ठानों को वर्ष के सभी 365 दिन कार्य करने, प्रतिष्ठान खोलने/ बंद करने के समय शामिल हैं। दुकानों तथा प्रतिष्ठानों के 24 घंटे परिचालन के प्रावधान से देश भर में खुदरा बाजार को बढ़ावा मिलने का अनुमान है और इससे ग्राहकों को किसी भी समय खरीदारी की सुविधा मिलेगी। एसोचैम का कहना है कि गत एक साल में सिर्फ एक राज्य राजस्थान ने माडल विधेयक के अनुरूप प्रावधानों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। एसोचैम के महानिदेशक डीएस रावत ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी। श्री रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने ठीक कहा है कि अगर बड़े शापिंग माल सप्ताह के सातों दिन खुले रह सकते हैं तो छोटे और मझोले प्रतिष्ठान या दुकान क्यों नही खुले रह सकते।

इस विधेयक के तहत दुकानों तथा छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को अतिरक्त लाभ के दो पारियों में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों खासकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके लिए सभी स्थानीय निकायों जैसे जिन पर स्ट्रीट लाइट की जिम्मेदारी हो और मेट्रो तथा बस जैसी परिवहन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हो, उनके साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। इस विधेयक में विश्राम कक्ष, महिला शौचालय, पर्याप्त सुरक्षा और महिला कर्मियों के आने-जाने की सुविधा का प्रावधान है। इसके साथ ही भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानांतरण या प्रोन्नति में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किए जाने का भी प्रावधान है।

दुकान/ प्रतिष्ठान के लिए आनलाइन आवेदन के प्रावधान के साथ कर्मियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, प्रसाधन, प्रथम चिकित्सा सहायता तथा कैंटीन चलाने का दायित्व नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाएगा और अगर यह स्थान तथा अन्य कठिनाइयों के कारण संभव नहीं है तो प्रतिष्ठान को राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त पांच छुट्टियां देनी होंगी। ■ व

एसोचैम की राय

- माडल दुकान/प्रतिष्ठान विधेयक के प्रति राज्य उदासीन
- वर्ष 2016 में पेश बजट में लाई गई थी यह योजना
- अब तक सिर्फ राजस्थान सरकार ने शुरू किया है काम
- एसोचैम ने कहा, योजना लागू करने को केंद्र करे पहल
- इस योजना से खुदरा दुकानदारों को होगा ज्यादा फायदा

नियोक्ता की जिम्मेदारी

- कर्मचारियों के लिए करनी होगी सुरक्षा की व्यवस्था
- खाने इत्यादि के लिए करना होगा कैंटीन का इंतजाम
- कर्मियों को पिकअप और ड्रापिंग की देनी होगी सुविधा
- महिला कर्मियों के लिए करने होंगे विशेष सुरक्षा उपाय
- शौचालय इत्यादि का इंतजाम भी नियोक्ताओं के जिम्मे

क्या है योजना

- 365 दिन 24 घंटे खुलेंगी दुकानें
- दो शिफ्ट में काम करने का मौका
- इससे बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
- रात में भी चलेंगे सार्वजनिक वाहन
- कर्मचारियों को मिलेंगे 5 अवकाश
- सभी गजटेड हालिडे भी मिलेंगे

Jansatta

27 February, 2017

24 घंटे दुकान खुली रखने के लिए राज्य आदर्श विधेयक अपनाएं : एसोचैम

नई दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा)।

उद्योग मंडल एसोचैम का कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों से आदर्श दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक अपनाने के लिए कहे जिससे लघु एवं मझोली श्रेणी की दुकानों और प्रतिष्ठानों को सातों दिन खुला रखा जा सके।

एसोचैम ने पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दिए गए आदर्श विधेयक पर चिंता जताई है। अभी तक केवल राजस्थान ने इस विधेयक के अनुरूप एक विधेयक को विधानसभा में रखने की पहल की है। एसोचैम ने कहा कि राज्य (राजस्थान) सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में संशोधन करने का काम शुरू किया है। इससे लघु व्यापारियों को उनकी दुकान और खुदरा दुकानों को हफ्ते के सातों दिन पूरे समय खुले रखने की अनुमति मिल सकेगी। इन दुकानों के कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

Hindustan

27 February, 2017

छोटी दुकानों को सभी दिन खोलने की मांग

नई दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने रविवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह राज्यों को सभी छोटी और मध्यम स्तर की दुकानों को सातों दिन खोलने की अनुमति देने के लिए कानून बनाए।

बड़े शापिंग मॉल के सप्ताह के सातों दिन खुले रहने के मद्देनजर एसोचैम ने यह सुझाव दिया है। एसोचैम ने ने एक बयान में कहा है कि सिर्फ राजस्थान ने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा एक साल पहले प्रस्तावित विधेयक के अनुरूप पहल की है। एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने कहा है कि श्रम और रोजगार मंत्री और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यों को इस मॉडल विधेयक को अपनाने के लिए लिखा है। (एजेंसी)